न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 4199/2017/प्रार्थना पत्र

उनवान

1. शिवनारायण पि. केसर जाति दांगी नि. काच्छीखेडी तहसील जीरापुर म.प्र.
2. मांगीलाल पि. केसर जाति दांगी नि. भगोरा तहसील माचलपुर म.प्र.
3. बद्रीलाल पि. केसर जाति दांगी नि. काच्छीखेडी तहसील जीरापुर म.प्र.
4. दरियावबाई पुत्री रामलाल पत्नि चम्पालाल जाति दांगी नि. काच्छीखेडी तहसील जीरापुर म.प्र.
5. हीराबाई पुत्री रामलाल पत्नि कालूराम केसर जाति दांगी नि. गूजरखेडी तहसील जीरापुर म.प्र.
6. कमलाबाई पुत्री रामलाल पत्नि कालूराम जाति दांगी नि. गुगाखेडी तहसील खिलचीपुर म.प्र.
7. सीताबाई पुत्री रामलाल पत्नि रमेशचन्द जाति दांगी नि. जीरापुर तहसील जीरापुर म.प्र.

– प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकरण पि. कन्हीराम जाति बैरागी नि. केसरपुरा तहसील सुनेल
2. लक्ष्मीनारायण पि. कन्हीराम जाति बैरागी नि. केसरपुरा तहसील सुनेल
3. स्टेट बैंक आफ इंडिया जरिये शाखा प्रबंधक सुनेल
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – वकील प्रार्थी – श्री हुकुमचन्द कुमावत
वकील अप्रार्थीगण – श्री महेन्द्रसिंह जैन

आदेश **दिनांक :**

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] की ओर से धारा 212 रा. टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम केसरपुरा तहसील सुनेल जिला झालावाड़ राज0 की जमाबंदी सं. 2068–71 के खाता सं. 81 की आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:12:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

किता 3 रकबा 7 बीघा भूमि के खातेदार अप्रार्थी सं. 1 व 2 है। उक्त वादग्रस्त आराजी भूप्रबंध सेटलमेंट मिसल बंदोबरत्त सं. 2022–41 के अनुसार खातेदार केसर, रामलाल पिस. लक्ष्मण दांगी के खातेदारी में रही है। इससे पूर्व से ही इस पर काश्त सामुहिक रूप से केसर, रामलाल पिस. लक्ष्मण दांगी ने की है। केसर, रामलाल का स्वर्गवास हो गया है। प्रार्थीगण उसके वैघ उत्तराधिकारी है। वादग्रस्त आराजी में जमाबंदी सं. 2027–30, 2031–34, 2035–38 तक केसर, रामलाल पिस. लक्ष्मण दांगी के खातेदारी में रही है। प्रार्थीगण के पिता केसर, रामलाल पिस. लक्ष्मण दांगी कुछ अपरिहार्य कारणों से ग्राम केसरपुरा से ग्राम काच्छीखेडी रहने व मजदूरी करने चले गये। इस कारण वादग्रस्त आराजी बांटेदारी से काश्त करने हेतु अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता को दे गये थे एवं प्रत्येक कृषि वर्ष में केसरपुरा आकर हिसाब कर फसल का अपना आधा भाग प्राप्त करते रहे जो उनकी मृत्यु के बाद भी जारी रहा। केसर, रामलाल पिस. लक्ष्मण दांगी ने वादग्रस्त आराजी का कभी भी बेचान नहीं किया है। प्रार्थीगण के पिता की आराजी ग्राम वजीरपुरा में रही है। वहां भी अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता ने कानादास पि. भगवानदास के नाम से नामान्तरण दर्ज करवाया है। कानादास एवं कन्हीराम एक ही व्यक्ति है। यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता की नियत ठीक नहीं रहकर बांटेदार होने की स्थिति में भी अपना नाम खातेदारी में गलत तरीके से दर्ज करवाया है। नामा.सं. 58 दिनांक 09.02.1983 विधि विरूद्ध व गलत पद्धति के आधार पर दर्ज किया गया है। पटवारी रिपोर्ट दि. 07.02.1983 भी गलत है। आराजी का बेचान 1951 बताया है एवं बेचान पत्र दिनांक 03.02.1977 को होना बताया है। इस तिथि को प्रार्थीगण के पिताजी द्वारा आराजी का बेचाननामा का पंजीयन नहीं करवाया एवं न ही पंजीयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुये थे। नामा सं. 49 में कन्हीराम का उल्लेख किया है जबकि नामा. में कानादास दर्ज है। इन्तकाल सं. 58 की पुष्ठ पर इन्तकाल नं. 56 लिखा है जबकि जमाबंदी सं. 2039–42 में इन्तकाल नं. 57 का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि इन्तकाल नं. 58, 57, 56 जो भी उल्लेखित है दूषित प्रकिया का परिणाम होने से शून्य व निष्प्रभावी है। वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी सं. 1 व 2 के खातेदारी में गलत प्रक्रिया से दर्ज होने से इसका नाजायज फायदा उठाकर आराजी को खुर्द बुर्द बेचान, वसीयत कर सकते है। अप्रार्थीगण को समझाईश करने पर वे झगड़ा करने पर उतारू है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:12:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थिगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं अपूरनीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण की है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण होने तक ग्राम केसरपुरा तहसील सुनेल जिला झालावाड़ राज0 की जमाबंदी सं. 2068–71 के खाता सं. 81 की आराजी किता 3 रकबा 7 बीघा भूमि में प्रार्थिगण के कब्जे काश्त में व्यवधान कारित ना करे एवं आराजी को खुर्द बुर्द ,बेचान , वसीयत , हस्तानान्तरण नहीं करें। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम केसरपुरा की जमाबंदी सं. 2068–71 , खसरा गिरदावरी नकल , नक्शा ट्रेस , जमाबंदी सं. 2022–41 नकल , जमाबंदी सं. 2027–30 नकल , जमाबंदी सं. 2031–34 नकल , जमाबंदी सं. 2035–38 नकल , नामा.सं. 57 नकल , जमाबंदी सं. 2039–42 नकल की छायाप्रतियां प्रस्तुत की।

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से एडवोकेट श्री महेन्द्रसिंह जैन ने वकालातनामा पेश कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को अस्वीकार कर विशेष आपत्तियों में निवेदन किया कि ग्राम केसरपुरा की वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज थी उसके बाद विधिवत नामान्तरण अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज हुआ। उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण अपने पिता के समय से पिछले 70 वर्षो से काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादग्रस्त आराजी पर ऋण ले रखा है। उक्त आराजी के संबंध में प्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थीगण के पिता के मध्य न्यायालय अति.कलक्टर झालावाड में वाद चला जिसमें प्रार्थीगण के पिता ने जवाब दिया कि वादी का दावा डिक्री करने में कोई आपत्ति नहीं है। इससे पूर्व 1951 से ही प्रार्थीगण के पिता ने अप्रार्थीगण के पिता को वादग्रस्त आराजी का बेचान कर दिया था एवं आगे रहकर वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज करवायी थी इस कारण प्रार्थीगण वाद लाने से स्टोप्ड है। सन 1951 से प्रार्थीगण के पिता व उनके बाद अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर खातेदार की हैसियत से बिना किसी बाधा के काबिज काश्त है। प्रार्थिगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है एवं अपूरनीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण की नहीं है। इसलिये प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:12:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी जिला झालावाड़

COURT 2022

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र , जवाब प्रार्थना पत्र एवं राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह पाया कि ग्राम केसरपुरा तहसील सुनेल जिला झालावाड़ राज0 की जमाबंदी सं. 2068–71 के खाता सं. 81 की आराजी किता 3 रकबा 7 बीघा भूमि वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 व 2 के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सं. 2035–38 के खाते में वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज थी जिसके कालम सं. 16 में नामा.सं. 57 दिनांक 09.03.1983 के अंकित नोट अनुसार उक्त भूमि कनीराम पि. भगवानदास बैरागी के नाम दर्ज हुई। नामा.सं. 57 अनुसार वादग्रस्त आराजियात को अप्रार्थीगण के पिता द्वारा कय किया गया था।

आदेश

इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण ग्राम केसरपुरा तहसील सुनेल जिला झालावाड़ राज0 की जमाबंदी सं. 2068–71 के खाता सं. 81 की आराजी किता 3 रकबा 7 बीघा भूमि के संबंध में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस नहीं है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अपूरनीय क्षति की संभावना अप्रार्थीगण को होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का खारीज किया किया जाता है।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ संलग्न हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ सत्यमेव जयते

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:12:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner